



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 38] नई दिल्ली, सितम्बर 11—सितम्बर 17, 2011, शनिवार/भाद्र 20—भाद्र 26, 1933
No. 38] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 11—SEPTEMBER 17, 2011/BHADRA 20—BHADRA 26, 1933

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

(शुद्धिपत्र)

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2011

का. आ. 2480.—भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग की अधिसूचना सं. 7/3/2008-बीओ-1, दिनांक 11 अगस्त, 2011 का अधिक्रमण करते हुए और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 की उप-धारा (4) के साथ पठित उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, डॉ. डी. सुब्बाराव को 5 सितम्बर, 2011 से आरम्भ होकर 4 सितम्बर, 2013 को समाप्त होने वाली दो वर्षों की और अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में पुनर्नियुक्त करती है।

[फा. सं. 7/3/2008-बीओ-1]
उमेश कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)
CORRIGENDUM

New Delhi, the 5th September, 2011

S.O. 2480.—In supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, No. 7/3/2008-B. O.-I, dated the 11th August 2011, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and in exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-section (1) read with Sub-section (4) of Section 8 of the Reserve Bank of India Act, 1934, the Central Government, hereby re-appoints Dr. D. Subbarao as Governor of the Reserve Bank of India for a further period of two years commencing from 5th September, 2011 and ending with 4th September, 2013.

[F. No. 7/3/2008-B.O.-I]

UMESH KUMAR, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2011

का. आ. 2481.—निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 (1961 का 47) की धारा 6 की उप-धारा (2) के खंड (ii) के साथ पठित धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके, एतद्वारा, श्री कमलेश शिवजी विकमसे को उनकी अधिसूचना की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डी आई सी जी सी) के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नामित करती है।

[फा. सं. 6/1/2008-बीओ-1]

विजय मल्होत्रा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2011

S.O. 2481.—In exercise of the powers conferred by clause (e) of Sub-section (1) of Section 6 read with clause (ii) of Sub-section (2) of Section 6 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 (47 of 1961), the Central Government, in consultation with Reserve Bank of India, hereby nominates Shri Kamlesh Shivji Vikamsey as part time non official Director on the Board of Directors of Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) for a period of three years from the date of his notification, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/1/2008-B.O.-I]

VIJAY MALHOTRA, Under Secy.

मुख्य आयकर आयुक्त का कार्यालय

जोधपुर, 6 सितम्बर, 2011

सं. 7/2011-12

का. आ. 2482.—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43वां) की धारा 10(23ग) के खण्ड (vi) के साथ पठित आयकर विध्यावली-1962 के नियम 2 ग ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्य आयकर आयुक्त, जोधपुर एतद्वारा "राजस्थान विकास संस्थान, तीसरा प्रहर भवन, प्रथम ए रोड, जोधपुर" को उक्त धारा के प्रयोजनार्थ निर्धारण वर्ष 2007-08 से आगे तक निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमोदित करते हैं :—

1. कर निर्धारिती उसकी आय का प्रयोग अथवा उसकी आय का प्रयोग करने के लिए उसका संचयन पूर्णतः तथा अनन्यतः उन उद्देश्यों के लिए करेगा जिनके लिए इसकी स्थापना की गई। कर निर्धारिती न्यास द्वारा एक प्रतिबद्धता (अंडरटेकिंग) की गयी है कि संस्था का कार्य केवल शिक्षा प्रसार ही होगा व इसके अलावा संस्था कोई कार्य नहीं करेगी। संस्था को यह सुनिश्चित करना है कि दी गई अंडरटेकिंग का उल्लंघन न हो।
2. कर निर्धारिती उपर्युक्त कर निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि (जेवर-जेवाहिरत, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा।
3. यह आदेश किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगा, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाम हो जब तक ऐसा कारोबार उक्त कर निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

4. कर निर्धारिती आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विक्रणी नियमित रूप से आयकर प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगा ।
5. विघटन की स्थिति में इसकी अतिरिक्त राशियां और परिसंपत्तियां समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएंगी और उसका कोई भी भाग संस्थान के किसी सदस्य को नहीं दिया जाएगा ।
6. आयकर अधिनियम की धारा 10(23 ग) के साथ पठित 115 खखग में परन्तुक 15 की शर्तों में अनाम दानों के सम्बन्ध में यह अनुमोदन लागू नहीं होगा ।
7. यह अधिसूचना तब तक जारी रहेगी जब तक इसे वापस न लिया जाये ।

[सं. मु.आ.आ./आ.अ. (तक.) /जोध/2011-2012/2224]

दिलीप शिवपुरी, मुख्य आयकर आयुक्त

OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER OF INCOME-TAX

Jodhpur, the 6th September, 2011

No. 7/2011-12

S.O. 2482.—In exercise of the powers conferred by clause (vi) of Section 10(23C) of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) read with rule 2CA of the Income Tax Rules, 1962, I, the Chief Commissioner of Income Tax, Jodhpur hereby approve "Rajasthan Vikas Sansthan Teesra Prahar Bhawan, Ist A Road, Sadarpura, Jodhpur," for the purpose of the said section for the assessment year 2007-08 onwards, subject to the following conditions :

1. the assessee will apply its income, or accumulate for application wholly and exclusively to educational purpose only. The assessee trust shall have to adhere to its under taking that the activities of the Institute shall be confined only to educational purpose. The Institute shall do no other activity except education.
2. the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contribution received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of section 11;
3. this order will not apply in relation to any income being profits and gain of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business;
4. the assessee will regularly file its return of income before the income-tax authority in accordance with the provisions of Income-tax Act, 1961;
5. that in the event of dissolution, its surplus and the assets will be given to a charitable organization with similar objectives and no part of the same will go to any of the members of the Institution.
6. The approval will not apply in relation to anonymous donations in terms of the fifteenth proviso to section 10(23C) r.w.s. 115BBC of the Act.
7. This notification will remain in force until it is withdrawn.

[No. CCIT/ITO(Tech.)/Ju/2011-2012/2224]

DILEEP SHIVPURI, Chief Commissioner of Income Tax

जयपुर, 7 सितम्बर, 2011

सं. 6/2011-12

क्र. आ. 2483.—आयकर नियम 1962 के नियम 2 सी ए के साथ पठनीय आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43वां) की धारा 10 के खण्ड (23 सी) की उप-धारा (vi) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्य आयकर आयुक्त, जयपुर एतद्वारा निर्धारण वर्ष 2010-11 एवं आगे के लिए कथित धारा के उद्देश्य से "संस्कार विद्या मंदिर शिक्षा समिति, देवली, टोंक (स्थाई खाता संख्या AADTS2208M)" को स्वीकृति देते हैं ।

2. बशर्ते कि समिति आयकर नियम 1962 के नियम 2 सी ए के साथ पठनीय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के उप-खण्ड (23 सी) की उप-धारा (vi) के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करें ।

[सं. मु.आ.आ./अ.आ.आ. (मु.)/जय/10(23सी)(vi)/11-12/3038]

मुकेश भान्ती, मुख्य आयकर आयुक्त

Jaipur, the 7th September, 2011

No. 6/2011-12

S.O. 2483.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) read with rule 2CA of the Income-tax Rules, 1962 the Chief Commissioner of Income-tax, Jaipur hereby approves "Sanskar Vidhya Mandir Siksha Samiti, Deoli, District-Tonk (PAN-AADTS2208M)" for the purpose of said section from A. Y. 2010-11 and onwards.

2. Provided that the society conforms to and complies with the provisions of sub-clause (vi) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 read with rule 2CA of the Income-tax Rules, 1962.

[No. CCTI/JPR/Addl. CIT(Hqrs.)/10(23C)(vi)/2011-12/3038]

MUKESH BHANTI, Chief Commissioner of Income Tax

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2011

क्र. आ. 2484.—बीमा नियमावली, 1939 के नियम 60 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 110छ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, परामर्शदात्री समिति का गठन करती है और उस प्रयोजनार्थ निम्नलिखित व्यक्तियों को सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के लिए उक्त समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य के तौर पर नियुक्त करती है, नामतः :—

- | | |
|--|---------|
| 1. श्री जे. हरि नारायण, अध्यक्ष, आईआरडीए | अध्यक्ष |
| 2. श्री जी. एन. बाजपेयी (पूर्व अध्यक्ष, एसईबीआई एवं एलआईसी) | सदस्य |
| 3. श्री डी. सेनगुप्ता (पूर्व अध्यक्ष, जीआईसी एवं सीएमडी, एनआईएसीएल) | सदस्य |
| 4. श्री बी. चक्रवर्ती (पूर्व सीएमडी, एनआईएसीएल एवं सीएमडी, एनआईसीएल) | सदस्य |

[फा. सं. एच-12013/04/2011-बीमा-1]

जे. के. मेहन, अवर सचिव

New Delhi, the 13th September, 2011

S.O. 2484.—In exercise of the powers conferred by Sub-section 1 of Section 110G of the Insurance Act, 1938 read with rules 60 of the Insurance Rules, 1939, the Central Government hereby constitutes a Consultative Committee and for that purpose appoint the following persons as Chairman and Members of the said Committee for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely :—

- | | |
|---|----------|
| 1. Shri J. Hari Narayan, Chairman, IRDA | Chairman |
| 2. Shri G. N. Bajpai (Former Chairman, SEBI and LIC) | Member |
| 3. Shri D. Sengupta (Former Chairman GIC and CMD, NIACL) | Member |
| 4. Shri B. Chakrabarti, (Former CMD NIACL and CMD, NICTL) | Member |

[F. No. H-12013/04/2011-Ins. I]

J. K. MEHAN, Under Secy.

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2011

क्र. आ. 2485.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में वाणिज्य विभाग के अधीन निम्नलिखित कार्यालय को एतद्द्वारा अधिसूचित करती है, जिसके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारीवृंद ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है :

फुटविपर डिजाइन एण्ड डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट (एफ डी डी आई)

ए-10/ए, सेक्टर-24, नोएडा-201301

जिला-गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश). भारत

[सं. ई-11013/1/2008-हिन्दी]

श्रीमती देवकी, निदेशक

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)**

New Delhi, the 8th September, 2011

S.O. 2485.—In pursuance of Sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for official purposes of the union) Rules, 1976, the Central Govt. hereby notifies the following office under Department of Commerce, whereof more than 80% staff have acquired a working knowledge of Hindi :

Footwear Design and Development Institute (FDDI)

A-10/A, Sector-24, Noida-201301

Distt. Gautam Budha Nagar (U. P.),

India

[No. E-11013/1/2008-Hindi]

Smt. DEVKI, Director

मानव संसाधन वि. ंचालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2011

क्र.आ. 2486.—सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा नीचे तालिका के कॉलम (1) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ सरकार के राजपत्रित अधिकारी के समतुल्य अधिकारी श्रेणी अधिकारी होने के फलस्वरूप संपदा अधिकारी नियुक्त करती है जो उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और उक्त तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सार्वजनिक परिसरों के संबंध में उसके क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर संपदा अधिकारी को सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करेगा ।

तालिका

अधिकारी का पदनाम	सार्वजनिक परिसरों की श्रेणी और क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाएं
परियोजना इंजीनियर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंदौर	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंदौर से संबंधित अथवा उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से अधिग्रहीत अथवा पट्टे पर लिए गए परिसर ।

[फा. सं. 14-25/2010-टीएस-1]

प्रिस्का मैथ्यू, अवर सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT**(Department of Higher Education)**

New Delhi, the 25th August, 2011

S.O. 2486.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the Table below, being the officer equivalent to the rank of gazetted officers of the Government, to be Estate Officer for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed, on estate officer by or under the said Act, within the local limits of his jurisdiction in respect of the public premises specified in column (2) of the said Table.

TABLE

Designation of the officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction
Project Engineer, Indian Institute of Technology, Indore.	Premises belonging to, or taken on lease or requisitioned by or on behalf of the Indian Institute of Technology, Indore.

[F No. 14-25/2010-TS-I]

PRISCA MATHEW, Under Secy.

नागर विमानन मंत्रालय

(एडी अनुभाग)

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2011

का.आ. 2487.—भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, अधिनियम, 2008 (2008 का 27) की धारा-9 के उप-धारा (1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा कैप्टन कपिल चौधरी, आई आर एस (सी तथा सीई : 2001), निदेशक (विधिक), विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली को तुरंत प्रभाव से नियमित पदधारी द्वारा पद ग्रहण करने अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, सचिव, विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का अतिरिक्त पदभार सौंपती है।

[फा. सं. ए-12023/1/2011-एडी]

सैयद इमरान अहमद, अवर सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(AD Section)

New Delhi, the 2nd September, 2011

S.O. 2487.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9 of the Airport Economic regulatory Authority of India Act, 2008 (27 of 2008), the Central Government hereby assign the additional charge of the post of Secretary, Airports Economic Regulatory Authority to Capt. Kapil Chaudhary, IRS (C & CE : 2001), Director (Legal), Airports Economic Regulatory Authority, New Delhi with immediate effect till the regular incumbent joins the post or till further orders, whichever is earlier.

[F. No. A. 12023/1/2011-AD]

SYED IMRAN AHMED, Under Secy.

विदेश मंत्रालय

(सीपीवी प्रभाग)

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2011

का.आ. 2488.—राजनयिक और कौंसलीय ऑफिसर (शपथ और फीस) के अधिनियम, 1948 (1948 का 41) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा श्री संजय कुमार, पी.ए. और श्री विक्रम सिंह ठाकुर सहायक को 8-9-2011 से भारत के राजदूतावास, बामाको (माली) में सहायक कौंसुलर अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[सं. टी-4330/1/2006]

आर. के. पेरिन्डिया, अवर सचिव (कौंसुलर)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(CPV Division)

New Delhi, the 8th September, 2011

S.O. 2488.—In pursuance of the clause (a) of the Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby authorize Shri Sanjay Kumar, PA and Shri Vikram Singh Thakur, Assistant, Embassy of India, Bamako (Mali) to perform their duties of Assistant Consular Officers with effect from 8th September, 2011.

[No.T-4330/1/2006]

R. K. PERINDIA, Under Secy. (Consular)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 मई, 2011

का.आ. 2489.—दंत चिकित्सा अधिनियम, 1948 (1948 का 16) की धारा 10 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् से परामर्श करके, उक्त अधिनियम की अनुसूची के भाग-I में निम्नलिखित और संशोधन करती है नामतः :—

2. डॉ. भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के संबंध में दंत चिकित्सा अधिनियम, 1948 (1948 का 16) की अनुसूची के भाग-I में क्रम संख्या 58 के बाद मौजूद कॉलम 2 तथा 3 की प्रविष्टियों में इसके पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियों को अंतर्विष्ट किया जाएगा :

“बाबू बनारसी दास दंत विज्ञान कालेज, लखनऊ

मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी

- | | |
|---|---|
| (i) पिरियड ओन्टोलॉजी
(यदि दिनांक 4-9-2010 को अथवा इसके बाद प्रदान की गई हो)। | एमडीएस (पिरियड ओन्टोलॉजी) डॉ. बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा |
| (ii) प्रोस्थोडोन्टिक्स तथा क्राउन व ब्रिज
(यदि दिनांक 11-9-2010 को अथवा इसके बाद प्रदान की गई हो)। | एमडीएस (प्रोस्थो) डॉ. बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा |
| (iii) कन्जरवेटिव डेंटिस्ट्री एवं एंडोडेंटिक्स
(यदि दिनांक 14-9-2010 को अथवा इसके बाद प्रदान की गई हो)। | एमडीएस (कन्जरवेटिव डेंटिस्ट्री) डॉ. बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा |
| (iv) ओरल एवं मेक्शीलोफेसियल सर्जरी
(यदि दिनांक 4-9-2010 को अथवा इसके बाद प्रदान की गई हो)। | एमडीएस (ओरल एवं मेक्शीलोफेसियल सर्जरी) डॉ. बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा |
| (v) आर्थोडोन्टिक्स एवं डेंटोफेसियल आर्थोपेडिक्स
(यदि दिनांक 14-9-2010 को अथवा इसके बाद प्रदान की गई हो)। | एमडीएस (आर्थो) डॉ. बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा” |

[सं. वी-12017/75/2005-डीई]

अनीता त्रिपाठी, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 6th May, 2011

S.O. 2489.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 10 of the Dentists Act, 1948 (16 of 1948), the Central Government after consultation with Dental Council of India hereby, makes the following amendments in Part-I of the Schedule to the said Act, namely :—

2. In the existing entries of columns 2 and 3 against Serial No. 58, in part-I of the Schedule to the Dentists Act, 1948 (16 of 1948) pertaining to recognition of dental degrees awarded by Dr. Bhim Rao Ambedkar University, Agra, the following entries shall be inserted thereunder :—

“Babu Banarsi Das College of Dental Sciences, Lucknow

Master of Dental Surgery

- | | |
|--|---|
| (i) Periodontology
(if granted on or after 4-9-2010) | MDS (Periodontology), Dr. B. R. Ambedkar University, Agra. |
| (ii) Prosthodontics and Crown & Bridge
(if granted on or after 11-9-2010) | MDS (Prosth.), Dr. B. R. Ambedkar University, Agra. |
| (iii) Conservative Dentistry and Endodontics
(if granted on or after 14-9-2010) | MDS (Cons. Dentistry), Dr. B. R. Ambedkar University, Agra. |
| (iv) Oral & Maxillofacial Surgery
(if granted on or after 4-9-2010) | MDS (Oral & Max. Surg.), Dr. B. R. Ambedkar University, Agra. |
| (v) Orthodontics & Dentofacial Orthopedics
(if granted on or after 14-9-2010) | MDS (Ortho.), Dr. B. R. Ambedkar University, Agra.” |

[No. V-12017/75/2005-DE]
ANITA TRIPATHI, Under Secy.

भारतीय डाक विभाग

(कार्यालय मुख्य पोस्टमास्टर जनरल कलकत्ता-1)

रायपुर, 1 अगस्त, 2011

क्र.आ. 2490.—यतः श्री मनीष प्रधान, निरीक्षक रेल डाकसेवा, रायपुर के विभागीय जांच के संबंध में केंद्रीय सरकार का मत है कि साक्षियों को समन जारी करने की आवश्यकता है।

अतएव, विभागीय जांच (साक्षी हाजिर कराना और प्रलेख प्रस्तुत कराना) अधिनियम, 1972 (1972 का 18) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार द्वारा भारतीय डाक विभाग में कार्यरत श्री मनीष प्रधान, निरीक्षक रेल डाक सेवा, रायपुर के विरुद्ध जांच के संबंध में उपर्युक्त अधिनियम की धारा 5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये श्री एम. आर. कावडकर को जांच अधिकारी एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है।

[ज्ञा. क्र. सतर्कता 3-5/आरएमएस/आरपी संभाग]
जसवन्त पांडा, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल

DEPARTMENT OF POSTS

(Office of the Chief Postmaster General)

Raipur, the 1st August, 2011

S.O. 2490.—Whereas the Central Government is of opinion that for the purposes of the department inquiry relating to Shri Manish Pradhan, IRM, Raipur it is necessary to summon witnesses.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Department Inquiries (Enforcement of Attendance of Witnesses and Production of Documents) Act, 1972 (18 of 1972), the Central Government hereby authorizes Shri M. R. Kawadkar as the inquiring authority to exercise the power specified in section 5 of the said Act in relation to Shri Manish Pradhan, IRM, Raipur working in the Department of Post.

[No. Vig. 3-5/RMS/RP Division]
J. PANDA, Chief Postmaster General

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

भारतीय मानक ब्यूरो

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2011

क्र. आ. 2491.—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गए हैं :—

अनुसूची

क्रम संख्या	स्थापित भारतीय मानक(कों) की संख्या, वर्ष और शीर्षक	नये भारतीय मानक द्वारा अतिक्रमित भारतीय मानक अथवा मानकों, यदि कोई हो, की संख्या और वर्ष	स्थापित तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आई एस/आई एस ओ : 3183 : 2007 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस उद्योग - पाईपलाइन परिवहन तंत्र के लिए इस्पात की पाईप	आई एस 1978 : 1982 आई एस 1979 : 1985	01 नवम्बर, 2011

इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना, पुणे तथा तिरुवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

[संदर्भ : एमटीडी 19/टी-8]
पी. घोष, वैज्ञानिक 'एफ' एवं प्रमुख (एमटीडी)

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**(Department of Consumer Affairs)****(BUREAU OF INDIAN STANDARDS)**

New Delhi, the 23rd August, 2011

S.O. 2491.—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standard Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been established on the date indicated against each :

SCHEDULE

Sl. No.	No. & Year of the Indian Standards Established	No. & year of Indian Standards if any, Superseded by the New Indian Standard	Date of Establishment
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS/ISO 3183 : 2007 Petroleum Natural Gas Industries – Steel Pipe for Pipeline Transportation Systems	IS 1978 : 1982 IS 1979 : 1985	01st November, 2011

Copy of this Standard is available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and Regional Offices : New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices : Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Thiruvananthapuram.

[Ref : MTD 19/T-8]
P. GHOSH, Sc, 'F' & Head (MTD)

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2011

का. आ. 2492.—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि जिस भारतीय मानक का विवरण नीचे अनुसूची में दिए गया है वह स्थापित हो गया है :—

अनुसूची

क्रम संख्या	स्थापित भारतीय मानक(कों) की संख्या, वर्ष और शीर्षक	नये भारतीय मानक द्वारा अतिक्रमित भारतीय मानक अथवा मानकों, यदि कोई हो, की संख्या और वर्ष	स्थापित तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आई एस 13778 (भाग 1) : 2011 कुंडलन तारें – परीक्षण पद्धतियाँ भाग 1 सामान्य (पहला पुनरीक्षण)	—	24-08-2011

इस भारतीय मानक की एक प्रति भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002; क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना, पुणे तथा तिरुवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं ।

[संदर्भ : ईटी 33/टी-104]
आर. के. त्रेहन, वैज्ञानिक 'ई' एवं प्रमुख (विद्युत तकनीकी)

New Delhi, the 24th August, 2011

S.O. 2492.—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standard Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards to the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been issued :

SCHEDULE

Sl. No.	No. & Year of the Indian Standards Established	No. & year of Indian Standards if any, superseded by the New Indian Standard	Date of Establishment
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS 13778 (Part 1) : 2011 Winding Wires – Test Methods Part 1 General (First Revision)	—	24-08-2011

Copy of this Standard is available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and Regional Offices : New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices : Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Thiruvananthapuram.

[Ref: ET 33/T-104]

R. K. TREHAN, Scientist 'E' & Head (Electrotechnical)

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2011

क्र. आ. 2493.—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गए हैं :—

अनुसूची

क्रम संख्या	स्थापित भारतीय मानक(कों) की संख्या, वर्ष और शीर्षक	नये भारतीय मानक द्वारा अतिक्रमित भारतीय मानक अथवा मानकों, यदि कोई हो, की संख्या और वर्ष	स्थापित तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आई एस 2330 : 2011/आई एस ओ 8494 : 1998 धात्विक सामग्री – नलिका – फलैजिंग परीक्षण (दूसरा परीक्षण)	आई एस 2330 : 1986	31 जुलाई, 2011
2.	आई एस 6885 (भाग 4) : 2011/आई एस ओ 4545-4 : 2005 धात्विक सामग्री – नूप कठोरता परीक्षण – भाग 4 कठोरता माप की सारणी (पहला परीक्षण)	—	30 जून, 2011

इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना, पुणे तथा तिरुवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं ।

[संदर्भ : एमटीडी 3/टी-72 और 77]

पी. घोष, वैज्ञानिक 'एफ' एवं प्रमुख (एमटीडी)

New Delhi, the 24th August, 2011

S.O. 2493.—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standard Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been established on the date indicated against each :

SCHEDULE

Sl. No.	No. & Year of the Indian Standards Established	No. & year of Indian Standards if any, Superseded by the New Indian Standard	Date of Establishment
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS 2330 : 2011/ISO 8494 : 1998 Metallic Materials – Tube – Flanging test (second revision)	IS 2330 : 1986	31st July, 2011
2.	IS 6885 (Part 4) : 2011/ISO 4545-4 : 2005 Metallic Materials – Knoop hardness test Part 4 Table of hardness values (first revision)	—	30th June, 2011

Copy of this Standard is available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and Regional Offices : New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices : Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Thiruvananthapuram.

[Ref: MTD 3/T-72 & 77]
P. GHOSH, Sc. 'F' & Head (MTD)

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2011

का. आ. 2494.—भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम, 1988 के विनियम 5 के उप-विनियम (6) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि निम्न विवरण वाले लाइसेंसों को उनके आगे दर्शायी गई तारीख से रद्द कर दिया गया है :-

अनुसूची

क्रम सं.	लाइसेंस संख्या	लाइसेंसधारी का नाम व पता	लाइसेंस के अंतर्गत वस्तु/ प्रक्रम सम्बद्ध भारतीय मानक का शीर्षक	रद्द करने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	9254278	दुग्गल एन्टरप्राइसिज, जी. टी. रोड, बटाला, जिला भठिंडा, पंजाब	अपशिष्ट और संवातन के रेत के सांचों में ढले लोहे के स्पिगट और सॉकेट पाइप - फिटिंग और सहायकांग	08-06-2011

[सं. : सी एम डी/13 : 13]
पी. के. मुखोपाध्याय, वैज्ञानिक 'एफ' एवं प्रमुख

New Delhi, the 29th August, 2011

S.O. 2494.—In pursuance of sub-regulation (6) of the Regulation 5 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulations, 1988 of the Bureau of Indian Standards, hereby notifies that the licences particulars of which are given below have been cancelled with effect from the date indicated against each :

SCHEDULE

Sl. No.	Licence No. CM/L-	Name & Address of the Licensee	Article/Process with relevant Indian Standards covered by the licence cancelled/suspended	Date of Cancellation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	9254278	M/s Dugal Enterprises, G T. Road, Batala, Distt. : Bathinda, Punjab	Cast Iron/Ductile Iron Drainage Pipes and Pipe Fittings for Over Ground Non-Pressure Pipeline Socket and Spigot Series	08-06-2011

[No. CMD/13 : 13]

P. K. MUKHOPADHYAY, Scientist 'F' & Head

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2011

का. आ. 2495.—भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम, 1988 के विनियम 4 के उप-विनियम (5) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन लाइसेंसों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, वे स्वीकृत कर दिए गए हैं :—

अनुसूची

क्रम सं.	लाइसेंस संख्या	स्वीकृत करने की तिथि	लाइसेंसधारी का नाम व पता	भारतीय मानक का शीर्षक	भा. मा. संख्या	भाग अनु.	वर्ष	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	9841701	03-02-2011	भवानी इण्डस्ट्रीज लि., अजनाली जी. टी. रोड, फतेहगढ़ साहिब, मण्डीगोबिन्दगढ़, पंजाब	पतली भित्ति वाले नम्य शीघ्र कपलिंग पाइप	11722		1986	
2.	9845103	24-02-2011	बरजर पेन्ट इंडिया लिमिटेड, सिडको इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेन्टर, साम्बा, जम्मू	संश्लिष्ट इनेमल (क) अधः लेपन (ख) फिनिशिंग	2932		2003	
3.	9845507	03-03-2011	आनन्द परफ्यूमरी, 673, इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेज 2, चण्डीगढ़	संचायक बैटरियों के लिए जल	1069		1993	
4.	9845709	07-03-2011	दिव्या मिनरल्स, गांव रेल माजरा, मैक्स इंडिया के पास, तहसील बलाचौर, नवोशहर, शहीद भगत सिंह नगर, पंजाब	पैकेजबंद पेय जल	14543		2004	
5.	9848816	21-03-2011	आर. एम. एक्सपोर्ट्स, 72-73, गुलाब सिंह नगर, इण्डस्ट्रीयल अस्टेट के पीछे, जालन्धर	वैल्टिंग के लिये रबड़ होज	447		1988	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6.	9851401	20-04-2011	वाई. के. एम. बोटलिंग क. प्रा. लि., 691, इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेज-1, चण्डीगढ़	पैकेजबंद पेय जल	14543			2004
7.	9851704	01-04-2011	रैना फूड प्रोडक्ट्स, खंडवाल, पी. ओ. सिम्बल, जम्मू, जे. एंड के.	पैकेजबंद पेय जल	14543			2004
8.	9852706	05-04-2011	आर. एम. एक्सपोर्ट्स, 72-73, गुलाब सिंह नगर, इण्डस्ट्रीयल अस्टेट के पीछे, जालन्धर	रबड़ वायु होज	446			1987
9.	9852807	06-04-2011	अग्रवाल स्टील रोलिंग मिल्स, मेन रोड, सिडको इण्डस्ट्रीयल काम्पलैक्स, बरी ब्रह्मण, जम्मू	सामान्य प्रयोजन हेतु स्टील	2062			2006
10.	9852908	06-04-2011	के. सी. सोनी एण्ड सन्स स्टील प्राइवेट लि., गाँव हरबंसपुरा, तहसील सरहिन्द, आर. आई. एम. टी. इंजीनियरिंग कालेज के पास, फतेहगढ़ साहिब, मण्डीगोबिन्दगढ़	इस्पात के पाइप, नलिकार्ये तथा पिटवां इस्पात की फिटिंग भाग 1, इस्पात के पाइप	1239			2004
11.	9853607	01-04-2011	ट्रैन्ड इण्डस्ट्रीज, डी 72, फेज-5, फोकल प्वाइंट, लुधियाना	थर्मोप्लास्टिक होज (टैक्सटाइल रिइनफोरसड) पानी के लिये सामान्य प्रयोजन हेतु	12585			1988
12.	9858920	25-04-2011	विश्वास मिल्क प्रोडक्ट प्रा. लि., मजीठा रोड, अमृतसर, फतेहगढ़ चूरिया, पंजाब	मलाईरहित दूध पाउडर भाग-1 स्टैंडर्ड ग्रेड	13334	1		1998
13.	9859114	11-05-2011	पायनियर पेस्ट्रीसाइड्स प्रा. लि., इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सैन्टर, साम्बा, जम्मू	प्रोपीकोनाजोल	15182			2002
14.	9859619	12-05-2011	मुनीश फोर्ज प्रा. लिमिटेड, गाँव गोबिन्दगढ़, फेज 7 के साथ, फोकल प्वाइंट, लुधियाना, पंजाब	संरचना उपयोग के लिए इस्पात के खोखले सेक्शन	4923			1997
15.	9860095	18-05-2011	दोआबा फूड लिमिटेड, जी. टी. रोड, फतेहगढ़ साहिब, मण्डीगोबिन्दगढ़, पंजाब	पैकेजबन्द पेयजल	14543			2004

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16.	9863206	03-05-2011	चाणक्य डेयरी प्रोडक्ट्स लि., प्लॉट नं. 4, 5 और 6, फोकल प्वाइंट, फतेहगढ़ साहिब, मण्डीगोबिन्दगढ़, पंजाब	दूध पाउडर	1165			2002
17.	9864713	31-05-2011	रैना इण्डस्ट्रीज, कच्चा पाहा, जगतपुरा रोड, संगरूरसुनाम, पंजाब	घरेलू प्रेशर कुक्कर	2347			2006
18.	9866111	23-05-2011	राजधानी पैट्रो कॅमीकल, फेज 1, जम्मु, साम्बा, जे. एण्ड के.	क्लोरोपायरिफॉस ई सी	8944			1978
19.	9866212	09-06-2011	बंसल इस्पात उद्योग, जी. टी. रोड, सरहिन्द साईड मण्डीगोबिन्दगढ़, तहसील अमलोह, फतेहगढ़ साहिब, पंजाब	कंक्रीट प्रबलन के लिए उच्च सामर्थ्य की विरूपित इस्पात छड़े और तारें	1786			2008
20.	9867517	14-06-2011	जे. बी. जे. टी. ट्रेडर्स, सनो एग्री के पास, खडियाल रोड, संगरूर, सुनाम, पंजाब	घरेलू प्रेशर कुक्कर	2347			2006
21.	9868822	14-06-2011	अमन एग्री इण्डस्ट्रीज, बी-XXII ई 14/2208, डाइंग काम्पलैक्स, ओसवाल डाइंग बहादुर के रोड के पास, लुधियाना, पंजाब	फसल संरक्षण उपस्कर — हस्त चालित पीठ पर लादा जाने वाला पिस्टन टाइप	3906			1995
22.	9869824	17-06-2011	गुडविल एग्रोटैक, 12, 13 वरियाना, इण्डस्ट्रीयल काम्पलैक्स, ब्लॉक-21, इथर काम्पलैक्स रोड, जालन्धर, पंजाब	फसल संरक्षण उपस्कर — हस्त चालित पीठ पर लादा जाने वाला पिस्टन टाइप	3906			1995
23.	9870001	20-06-2011	क्रॉप कॅमीकल इंडिया लि., सी 63- 65, फोकल प्वाइंट, फरीदकोट, कोटकपुरा, पंजाब	प्रोपीकॉनाजोल	15182			2002
24.	9871508	22-06-2011	धर्म इंजीनियरिंग कम्पनी, जी. टी. रोड, गुरदासपुर, बटाला, पंजाब	जल गैस और मल जल के लिए अपकेंद्री स्पन तन्व लोहे के दाब	8329			2000
25.	9873714	20-06-2011	जे. एम. डब्ल्यू. प्रा. लि., सिडको काम्पलैक्स के पास, बरी ब्रहाण, साम्बा, जम्मु, जे. एंड के.	तांबे की पत्ती बिजली के प्रयोग हेतु	1897			2008

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
26.	9874514	18-07-2011	बी. आर. एग्रोटैक लि., इण्डस्ट्रीयल एरिया, सिडको, जम्मू एवं काश्मीर	अल्फासाइपरमेथरिन डब्ल्यू पी	15603			2005

[सं. : सी एम डी/13 : 11]

पी. के. मुखोपाध्याय, वैज्ञानिक 'एफ' एवं प्रमुख

New Delhi, the 29th August, 2011

S.O. 2495.—In pursuance of sub-regulation (5) of Regulation 4 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulations, 1988 of the Bureau of Indian Standards, hereby notifies the grant of licences particulars of which are given in the following Schedule :

SCHEDULE

Sl. No.	Licence No.	Grant Date	Name and Address of the Party	Title of the Standard	IS No.	Part	Section	Year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	9841701	3-2-2011	M/s Bhawani Industries Ltd., Ajnali, G T. Road, Mandigobindgarh, Distt : Fatehgarh Sahib, Punjab	Thin walled flexible quick coupling pipes	11722			1986
2.	9845103	24-02-2011	M/s Berger Paints India Limited, SIDCO Industrial Growth Center, Samba Distt. : Jammu, J&K	Enamel, Synthetic, Exterior : (a) Under-coating (b) Finishing	2932			2003
3.	9845507	03-03-11	M/s Anand Perfumery, 673, Indl. Area, Phase-II, Chandigarh-160002	Quality Tolerances for Water 1069 for Storage Batteries	1069			1993
4.	9845709	07-03-11	M/s Divya Minerals, Village Rail Majra, Near Maxindia, Teh Balachor Saheed Bhagat Singh Nagar Distt. : Nawashahar, Punjab	Packaged Drinking Water	14543			2004
5.	9848816	21-03-11	M/s R. M. Exports, 72-73, Gulab Singh Nagar, Behind Industrial Estate Distt. : Jalandhar, Punjab	Rubber hose for welding	447			1988
6.	9851401	20-4-11	M/s YKM Bottling Company Pvt. Ltd., 691, Industrial Area, Phase-I, Distt. : Chandigarh-160002	Packaged Drinking Water	14543			2004
7.	9851704	01-04-11	M/s Raina Food Products, Khandwal P.O. Simbol, Jammu Distt. : Jammu, J&K	Packaged Drinking Water	14543			2004

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8.	9852706	05-04-11	M/s R. M. Exports, 72-73, Gulab Singh Nagar, Behind Industrial Estate, Distt. : Jalandhar, Punjab	Rubber air hose	446			1987
9.	9852807	06-04-11	M/s Aggarwal Steel Rolling Mills, Main Road, SIDCO Industrial Complex, Bari Brahmana Distt. : Jammu, J&K	For General Structural Purpose	2062			2006
10.	9852908	06-04-11	M/s K. C. Soni & Sons, Steels Private Limited, Village Harbanspura Tehsil Sirhind, Near RIMT Engineering College, Mandi Gobindgarh Distt. : Fatehgarh Sahib, Punjab-147301	Mild Steel Tubes Tubulars and Other Wrought Steel Fittings Part-1	1239			2004
11.	9853607	01-04-11	M/s Grand Industries, D-72, Phase-5, Focal Point, Distt. : Ludhiana, Punjab	Thermoplastic Hoses (Textile Reinforced) for Water – General Purpose	12585			1988
12.	9858920	25-04-11	M/s Vishwas Milk Products Pvt. Ltd., Majitha Road, Fatehgarh Churian, Distt : Amritsar, Punjab	Skimmed Milk Powder Part 1	13334			1989
13.	9859114	11-5-11	M/s Pioneer Pesticides Pvt. Ltd., Industrial Growth Centre, Samba Distt. : Jammu, J&K	Propiconazole	15182			2002
14.	9859619	12-5-11	M/s Munish Forge Private Limited, Village Gobindgarh, Adjoining Phase-VII, Focal Point Distt. : Ludhiana, Punjab	Hollow steel sections for structural use	4923			1997
15.	9860095	18-05-11	M/s Doaba Foods Ltd., G. T. Road, Mandi Gobindgarh Distt. Fatehgarh Sahib, Punjab	Packaged Drinking Water	14543			2004
16.	9863206	03-05-11	M/s Chanakya Dairy Products Ltd., Plot No. 4, 5, 6, Focal Point, Mandi Gobindgarh, Distt. : Fatehgarh Sahib, Punjab-147301	Milk Powder	1165			2002

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
17.	9864713	31-05-11	M/s Raina Industries Kacha Paha Jagatpura Road, Sunam Distt. Sangrur, Punjab	Domestic Pressure Cookers	2347			2006
18.	9866111	23-05-11	M/s Rajdhani Petro Chemical Phase I, IGC, Samba Distt. : Jammu, J&K	Chlorpyrifos Emulsi- fiable Concentrates	8944			1978
19.	9866212	09-06-11	M/s. Bansal Ispat Udyog, G T. Road Sirhind Side, Mandi Gobindgarh Tehsil Amloh Distt. : Fatehgarh Sahib, Punjab	High strength deformed steel bars and wires for concrete reinforcement	1786			2008
20.	9867517	14-06-11	M/s J.B.J.T. Traders, Near Snow Agro, Khadial Road, Sunam Distt. : Sangrur, Punjab	Domestic Pressure Cookers	2347			2006
21.	9868822	14-06-11	M/s Aman Agro Industries, B-XXII, E-14/2208, Dying Complex, Near Oswal Dying Bahadur K. Road, Distt. : Ludhiana, Punjab	Crop Protection Equip- ment Hand-operated Knapsack Sprayer Piston Type	3906			1995
22.	9869824	17-06-11	M/s Goodwill Agrotech, 12, 13 Waryana Industrial Complex, Block-2, Leather Complex Road Distt. : Jalandhar, Punjab	Crop Protection Equipment Hand- operated Knapsack Sprayer Piston Type	3906			1995
23.	9870001	20-06-11	M/s Crop Chemicals India Ltd., C-63-65, Focal Point Kotkapura Distt. : Faridkot, Punjab	Propiconazole	15182			2002
24.	9871508	22-06-11	M/s Dharam Engineering Company, G T. Road, Batala Distt. : Gurdaspur, Punjab	Centrifugally Cast (Spun) Ductile Iron Pressure Pipes for Water Gas and Sewage	8329			2000
25.	9873714	20-06-11	M/s JMW India Pvt. Ltd., Near SIDCO Complex, Bari Brahmana, Distt. : Jammu, J&K-181133	Copper strip for electrical purposes	1897			2008
26.	9874514	18-07-11	M/s B. R. Agrotech Ltd., Industrial Area, SIDCO Kathua Distt. : Jammu and Kashmir-184101	Alphacypermethrin, WP	15603			2005

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2011

का. आ. 2496.—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गए हैं :—

अनुसूची

क्रम संख्या	स्थापित भारतीय मानक(कों) की संख्या, वर्ष और शीर्षक	नये भारतीय मानक द्वारा अतिक्रमित भारतीय मानक अथवा मानकों, यदि कोई हो, की संख्या और वर्ष	स्थापित तिथि
1.	आई एस 6016:2009/आई एस ओ : 3253 : 1998 गैस वेल्डिंग उपस्कर—वेल्डिंग, कटिंग और संबद्ध प्रक्रियाओं के लिए होज कनेक्शन (दूसरा पुनरीक्षण)	आई एस 6016 : 1982 (पहला पुनरीक्षण)	31 अगस्त, 2011

इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना, पुणे तथा तिरुवनन्तापुरम में विक्री हेतु उपलब्ध हैं।

[संदर्भ : एमटीडी 11/टी-5]

पी. घोष, वैज्ञानिक 'एफ' एवं प्रमुख (एमटीडी)

New Delhi, the 30th August, 2011

S.O. 2496.—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standard Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been established on the date indicated against each :

SCHEDULE

Sl. No.	No., Title & Year of the Indian Standards Established	No. & year of Indian Standards if any, Superseded by the New Indian Standard	Date of Establishment
1.	IS 6016 : 2009/ISO 3253 : 1998 Gas welding equipment—Hose connections for equipment for welding, cutting and allied processess (Second revision)	IS 6016 : 1982 (first revision)	31st August, 2011

Copy of this Standard is available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and Regional Offices : New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices : Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Thiruvananthapuram.

[Ref : MTD 11/T-5]

P. GHOSH, Sc. 'F' & Head (MTD)

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2011

का. आ. 2497.—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि नीचे अनुसूची में दिये गये मानक (कों) में संशोधन किया गया/किये गये हैं :—

अनुसूची

क्र. संख्या	स्थापित भारतीय मानक(कों) की संख्या, वर्ष और शीर्षक	संशोधन की संख्या और तिथि	संशोधन लागू होने की तिथि
1.	आई एस 5878 (भाग 5) : 1976 जलवाहक सुरंगों के निर्माण की रीति संहिता : भाग 5 कंक्रीट लाइनिंग (पहला पुनरीक्षण)	संशोधन संख्या 1 जनवरी 2008	31 जनवरी, 2008
2.	आई एस 5878 (भाग 7) : 1972 जलवाहक सुरंगों के निर्माण की रीति संहिता : भाग 7 ग्राउटिंग	संशोधन संख्या 2 जनवरी 2008	31 जनवरी, 2008

इन संशोधनों की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना, पुणे तथा तिरुवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

[संदर्भ : डब्ल्यू आर डी 14/टी-15 और टी-17]

जे. सी. अरोड़ा, वैज्ञ. 'एफ' एवं प्रमुख (जल संसाधन विभाग)

New Delhi, the 2nd September, 2011

S.O. 2497.—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standard Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that amendments to the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been issued :

SCHEDULE

Sl. No.	No., Title and Year of the Amended Indian Standards	No. & Year of the amendment	Date from which the amendment shall have effect
1.	IS 5878 (Part 5) : 1976 Code of practice for construction of tunnels conveying water : Part 5 Concrete lining (First revision)	Amendment No. 1 January 2008	31-1-2008
2.	IS 5878 (Part 7) : 1972 Code of practice for construction of tunnels conveying water : Part Grouting	Amendment No. 2 January 2008	31-1-2008

Copies of these amendments are available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and Regional Offices : New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices : Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Thiruvananthapuram.

[Ref : WRD 14/T-15 & T-17]

J. C. ARORA, Sc 'F' & Head (Water Resources Deptt.)

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2011

का. आ. 2498.—भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम, 1988 के विनियम (4) के उप-विनियम (5) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन लाइसेंसों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, वे स्वीकृत कर दिए गए हैं :—

अनुसूची

क्रम सं.	लाइसेंस संख्या	स्वीकृत करने की तिथि वर्ष/माह	लाइसेंसधारी का नाम व पता	भारतीय मानक का शीर्षक	भा मा संख्या	भाग	अनुभाग	वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	L-9872510	6-7-2011	मै. लोटस कॉमर्शियल इण्डिया प्रा. लि., प्लॉट नं. 2, नाहरपुर रूपा, नियर अनाज मण्डी चौक, जिला गुडगांव (हरियाणा)	पैकेजबन्द पेय जल (पैकेजबन्द प्राकृति मिनरल जल के अलावा)	14543	-	-	2004
2.	L-9874110	18-7-2011	मै. टोयो फेरस क्रीट प्रा.लि., निकट शिव मंदिर, गांव सरूरपुर, सोहना रोड, जिला फरीदाबाद (हरियाणा)	सिरैमिक टाइल्स और पच्चीकारी में प्रयुक्त आसंजक	15477	-	-	2004
3.	L-9874716	22-7-2011	मै. आर के जी इण्डस्ट्रीज, पलवल अलावलपुर रोड, गांव खजूरका, सिटी पलवल, जिला पलवल (हरियाणा)	पैकेजबन्द पेय जल (पैकेजबन्द प्राकृति मिनरल जल के अलावा)	14543	-	-	2004
4.	L-9874918	25-7-2011	मै. अरविन्द इण्डस्ट्रीज, खसरा नं. 235/1/2, बी पी ओ-जटौली, नियर खण्डेवलामोड़, सिटी पटौदी, जिला गुडगांव-122504 (हरियाणा)	पैकेजबन्द पेय जल (पैकेजबन्द प्राकृति मिनरल जल के अलावा)	14543	-	-	2004
5.	L-9875819	26-7-2011	मै. स्टैण्डर्ड फायर सोल्यूशन, ई 54, संजय कालौनी, सेक्टर-23, जिला फरीदाबाद-121004 (हरियाणा)	सुवाहय अग्नि शामक, शुष्क पाउडर टाइप (भंडारित दाब)	13849	-	-	1993
6.	L-9876821	29-7-2011	मै. पी सी ज्वैलर्स प्रा.लि., 10ए, नेहरू ग्राउंड, एन आई टी, जिला फरीदाबाद-121001 (हरियाणा)	चांदी एवं चांदी मिश्रधातु आभूषण/शिल्प वस्तुएं महीनता एवं मुहरांकन	2112	-	-	2003

[सं. सीएमडी/13 : 11]

एम. सदाशिवम, वैज्ञानिक 'एफ' एवं प्रमुख (एफ. डी. ओ.)

New Delhi, the 5th September, 2011

S.O. 2498.—In pursuance of sub-regulation (5) of the Regulation 4 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulations, 1988 of the Bureau of Indian Standards, hereby notifies the grant of licences particulars of which are given in the following Schedule :

SCHEDULE

Sl. No.	Licence No.	Grant Date	Name and Address of the Party	Title of the Standard	IS No.	Part	Section	Year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	L-9872510	6-7-2011	M/s. Lotus Commercial India Pvt. Ltd., Plot No. 2, Naharpur Rupa, Near Anaaz Mandi Chowk, District Gurgaon (Haryana)	Packaged Drinking Water (Other than Packaged Natural Mineral Water)	14543	—	—	2004
2.	L-9874110	18-7-2011	M/s. Toyo Ferrous Crete Pvt. Ltd., Near Shiv Mandir, Village Saroorpur, Sohna Road, Distt. Faridabad (Haryana)	Adhesives for use with Ceramic Tiles and Mosaics	15477	—	—	2004
3.	L-9874716	22-7-2011	M/s. RKG Industries, Palwal-Alawalpur Road, Village Khajurka, City Palwal, Distt. Palwal (Haryana)	Packaged Drinking Water (Other than Packaged Natural Mineral Water)	14543	—	—	2004
4.	L-9874918	25-7-2011	M/s. Arvind Industries, Khasra No. 235/1/2, V.P.O. -Jatauli, Near Khandewlamore, City Pataudi, Distt. Gurgaon-122504 (Haryana)	Packaged Drinking Water, (Other than Packaged Natural Mineral Water)	14543	—	—	2004
5.	L-9875819	26-7-2011	M/s. Standard Fire Solution E-54, Sanjay Colony, Sector-23, Distt. Faridabad-121004 (Haryana)	Portable Fire Extinguisher dry powder type (Constant Pessure)	13849	—	—	1993
6.	L-9876821	29-7-2011	M/s.P.C. Jewellers Pvt. Ltd. 10-A, Nehru Ground, N.I.T., Distt. Faridabad-121001 (Haryana)	Silver & Silver Alloys Jewellery/Artefacts-Fineness and Marking	2112	—	—	2003

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2011

का. आ. 2499.—भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम, 1988 के विनियम 4 के उप-विनियम (5) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि जिनके विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, को लाइसेंस प्रदान किए गए हैं :—

अनुसूची

क्रम सं.	लाइसेंस संख्या	स्वीकृत करने की तिथि/ वर्ष/माह	लाइसेंसधारी का नाम व पता	भारतीय मानक का शीर्षक	भा. मा. संख्या	भाग	अनुभाग	वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	3747877	3-8-2011	कैप्टन पाइप प्रा. लि., सर्वे नं. 257, प्लॉट नं. 23 से 28, एन एच-8बी, शापर (वेरावल), तालुका-कोटदा संगानी, राजकोट, गुजरात-360002	पेयजल आपूर्ति के लिए अप्लास्टिक पीवीसी पाइप	आई एस 4985	-	-	2000
2.	3748071	4-8-2011	राजकृपाल इक्जीम प्रा.लि., सर्वे नं. 1/1, प्लॉट नं. 5, एन एच-8ए, ग्राम वरसाना, तालुका अंजार, जिला-कच्छ, गुजरात	सामान्य प्रयोजनों के लिए प्लाईवुड	आई एस 303	-	-	1989
3.	3748576	8-8-2011	शिवालिक पम्पस, के-1/49, रोड डी, आजी, जीआईडीसी, राजकोट-360003	सबमर्सिबल पम्पसेट्स	आई एस 8034	-	-	2002
4.	3749073	9-8-2011	किरलोस्कर ऑयल इंजीन्स लि., प्लॉट नं. 2315/16, 2330/31, जीआईडीसी, लोधिका इंडस्ट्रियल इस्टेट, अलमाईटी गेट, रोड डी-4, ग्राम मेटोदा, राजकोट, गुजरात-360021	सामान्य प्रयोजनों के लिए समगति संपीडन प्रज्वलन (डीजल) इंजन की कार्यकारिता अपेक्षाएं	आई एस 10001	1	-	1981
5.	3748778	9-8-2011	बालाजी इलेक्ट्रिकल्स, परमेश्वर सोसाइटी, डेवर रोड, अटीका(द), राजकोट-360002	एक फेजी छोटे एसी और यूनीवर्सल बिजली की मोटर	आई एस 996	-	-	2009
6.	3749982	10-8-2011	अस्पी पाइप इंडस्ट्रीज प्लॉट नं. 115/116, लथी रोड, बाईपास चोकड़ी, बालाजी इंडस्ट्रीज के पीछे, अमरेली, गुजरात-365601	पेयजल आपूर्ति हेतु उच्च घनत्व पॉली-इथाइलीन पाइप	आई एस 4984	-	-	1995
7.	3749275	9-8-2011	परफेक्ट पॉलीमर्स, जीआईडीसी II, प्लॉट नं. 319/ए, सबलपुर, जिला-जूनागढ़, गुजरात	सिंचाई उपस्कर-सिंक्रलर पाइप-विशिष्ट भाग I, पालीएथिलीन पाइप	आई एस 14151	1	-	1999

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8.	3750967	16-8-2011	परफेक्ट पॉलीमर्स, जीआईडीसी II, प्लॉट नं. 319/ए, सबलपुर, जिला-जूनागढ़, गुजरात	सिंचाई उपस्कर- स्प्रिंकलर पाइप-विशिष्ट सहज संयोजी पालीएथिलीन पाइप तथा फिटिंग्स	आई एस 14151	2	-	1999
9.	3751868	17-8-2011	तिरुपती ड्रिंकिंग वाटर; प्लॉट नं. 71, सर्वे नं. 1/1, ग्राम मोरगार, तालुका भचाड, जिला कच्छ, गुजरात-370140	बोतलबंद पानी (प्राकृतिक खनिज पदार्थ के अतिरिक्त जल)	आई एस 14543	-	-	2004
10.	3751969	17-8-2011	राजकृपाल इक्जीम प्रा. लि., सर्वे नं. 1/1, प्लॉट नं. 5, एन एच 8-ए, ग्राम वरसाना, तालुका अंजार, जिला कच्छ, गुजरात	समुद्री उपयोग के लिए प्लाईवुड	आई एस 710	-	-	1976
11.	3752466	18-8-2011	लक्ष्मी प्लाईवुड इंडस्ट्रीज, सर्वे नं. 112/2, ग्राम वेसामेदी, तालुका अंजार, जिला कच्छ, गुजरात-370110	ब्लॉक बोर्ड	आई एस 1659	-	-	2004
12.	3752567	18-8-2011	लक्ष्मी प्लाईवुड इंडस्ट्रीज, सर्वे नं. 112/2, ग्राम वेसामेदी, तालुका अंजार, जिला कच्छ, गुजरात-370110	लकड़ी के सपाट दरवाजे के शटर (ठोस कोर टाइप) भाग 1 प्लाईवुड के सतह- युक्त पल्ले	आई एस 2202	1	-	1999
13.	3752668	18-8-2011	लक्ष्मी प्लाईवुड इंडस्ट्रीज, सर्वे नं. 112/2, ग्राम वेसामेदी, तालुका अंजार, जिला कच्छ, गुजरात-370110	सामान्य प्रयोजनों के लिए प्लाईवुड	आई एस 303	-	-	1989
14.	3754672	26-8-2011	जूनागढ़ डेयरी (मदर डेयरी प्रा. लि. का एक यूनिट), जफर मैदान, जूनागढ़, गांधीधाम, गुजरात-362001	मलाई रहित दूध-विशिष्ट भाग 2, अतिरिक्त ग्रेड	आई एस 13334	2	-	1992
15.	3753367	24-8-2011	रिलायबल बिटुमिन, प्लॉट नं. 45, 46, 47, 48, रिवेन्यु सर्वे नं. 19, ग्राम धिचदा, बीदेश्वर, जामनगर, गुजरात-361002	बिटुमिन के लिए ड्रम	आई एस 3575	-	-	1993
16.	3753468	24-8-2011	पुष्टि ज्वेलर्स, मतवा स्ट्रीट, जेतपुर, जिला राजकोट, गुजरात-360370	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्रधातुएं, आभूषण/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन- विशिष्ट	आई एस 1417	-	-	1999

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
17.	3753569	24-8-2011	राज ज्वेलर्स, राजकिरण, 20, न्यू जगन्नाथ प्लॉट, राजकोट-360001	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्रधातुएं आभूषण/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन-विशिष्ट	आई एस 1417	-	-	1999
18.	3753670	24-8-2011	राजदीप ज्वेलर्स, 4, नगरपालिका, शॉपिंग सेंटर-1, भचाड, जिला कच्छ, गुजरात-370230	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्रधातुएं आभूषण/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन-विशिष्ट	आई एस 1417	-	-	1999
19.	3754369	25-8-2011	एवरेस्ट कांटो सिलेन्डर लि., प्लॉट नं. 525 से 542, 618, 619, 627 एवं 628, सेक्टर न्यू एक्सटेंडेड एरिया, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र (कासेज), गांधी धाम, जिला कच्छ, गुजरात-370 230	वाहनों के लिए ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस के ऑन-बोर्ड भंडारण के लिए सिलेन्डर- विशिष्ट	आई एस 15490	-	-	2004
20.	3754470	25-8-2011	यूरो इंडिया सिलेन्डर लि., प्लॉट नं. 588-617, न्यू एरिया, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र (कासेज), गांधीधाम, जिला कच्छ, गुजरात-370230	वाहनों के लिए ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस के ऑन-बोर्ड भंडारण के लिए सिलेन्डर- विशिष्ट	आई एस 15490	-	-	2004
21.	3754773	26-8-2011	जैन ईरीगेशन सिस्टम लि., सर्वे नं. 215, पोस्ट घंगाली, तालुका-शिहोर, जिला-भावनगर, गुजरात-364240	सिंचाई उपस्कर- स्प्रिंकलर पाइप-विशिष्ट भाग 2 सहज संयोजी पालीएथिलीन पाइप तथा फिटिंग्स	आई एस 14151	2	-	1999
22.	3755068	29-8-2011	योगेन्द्र केमिकल्स, दरबारी चौक के समीप, पोस्ट पाटदी, जिला-सुरेन्द्रनगर, गुजरात-382765	आयोडीन युक्त नमक	आई एस 7224	-	-	2006

[सं. सीएमडी/13 : 11]

एम. राधाकृष्ण, वैज्ञानिक 'एफ' एवं प्रमुख

New Delhi, the 5th September, 2011

S.O. 2499.—In pursuance of sub-regulation (5) of Regulation 4 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulations, 1988 of the Bureau of Indian Standards, hereby notifies the grant of licences particulars of which are given below in the following Schedule :

SCHEDULE

Sl. No.	Licence No.	Grant Date	Name and Address of the Party	Title of the Standard	IS No.	Part	Section	Year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	3747877	3-8-2011	Captain Pipes Pvt. Ltd. Survey No. 257, Plot Nos. 23 to 28, NH-8B, Shapar (Veraval), Taluka-Kotda Sangani, Rajkot-360002	Unplasticized PVC pipes for potable water supplies	IS 4985	-	-	2000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.	3748071	4-8-2011	Rajkripal Exim Private Limited, Survey No. 1/1, Plot No. 5, N.H. 8-A, Village Varsana, Taluka Anjar, District Kachchh, Gujarat	Plywood for general purposes	IS 303	-	-	1989
3.	3748576	8-8-2011	Shivalik Pumps, K-1/49, Road D, AJI GIDC, Rajkot-360003	Submersible pumpsets	IS 8034	-	-	2002
4.	3749073	9-8-2011	Kirloskar Oil Engines Ltd., Plot No. 2315/16, 2330/31, G.I.D.C. Lodhika Industrial Estate, Almighty Gate, Road D-4, Village Metoda, District, Rajkot, Gujarat-360021	Performance requirements for constant speed compression ignition (diesel) engines for general purposes (up to 20 kw)	IS 10001	1	-	1981
5.	3748778	9-8-2011	Balaji Electricals, Parmeshwar Society, Dhebar Road, Atika (South), Rajkot-360002	Single-phase small ac and universal electric motors	IS 996	-	-	2009
6.	3749982	10-8-2011	ASPI Pipe Industries, Plot No. 115/116, Lathi Road, Bypass Chokadi, B/H Balaji Industries, Amreli, Gujarat-365601	High density polyethylene pipes for potable water supplies	IS 4984	-	-	1995
7.	3749275	9-8-2011	Perfect Polymers, GIDC-II, Plot No. 319/A, At : Sabalpur, Distt. Junagadh, Gujarat	Irrigation equipment- sprinkler pipes- Part 1 : polyethylene pipes	IS 14151	1	-	1999
8.	3750967	16-8-2011	Perfect Polymers, GIDC-II, Plot No. 319/A, At : Sabalpur, Distt. Junagadh, Gujarat	Irrigation equipment- sprinkler pipes- Part 2 : quick coupled polyethylene pipes	IS 14151	2	-	1999
9.	3751868	17-8-2011	Tirupati Drinking Water, Plot No. 71, Survey No. 1/1, Village Morgar, Taluka Bhachau, District Kachchh, Gujarat-370140	Packaged drinking water (other than packaged natural mineral water)	IS 14543	-	-	2004
10.	3751969	17-8-2011	Rajkripal Exim. Private Limited, Survey No. 1/1, Plot No. 5, N.H. 8-A, Village Varsana, Taluka Anjar, District Kachchh, Gujarat	Marine plywood	IS 710	-	-	1976

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11.	3752466	18-8-2011	Laxmi Plywood Industries, Survey No. 112/2, Village Versamedi, Taluka Anjar, District Kachchh, Gujarat-370110	Block boards	IS 1659	-	-	2004
12.	3752567	18-8-2011	Laxmi Plywood Industries, Survey No. 112/2, Village Versamedi Taluka Anjar, District Kachchh, Gujarat-370110	Wooden flush door shutters (solid core type) : part 1 plywood face panels	IS 2202	1	-	1999
13.	3752668	18-8-2011	Laxmi Plywood Industries, Survey No. 112/2, Village Versamedi Taluka Anjar, District Kachchh, Gujarat-370110	Plywood for general purposes	IS 303	-	-	1989
14.	3754672	26-8-2011	Junagadh Dairy (A Unit of Mother Dairy Fruits & Vegetables Pvt. Ltd.) Near Jaffer Maidan, Gandhigram, District-Junagadh, Gujarat-362001	Skim milk powder— Part 2 : extra grade	IS 13334	2	-	2000
15.	3753367	24-8-2011	Reliable Bitumen, Plot No. 45, 46, 47, 48, Revenue Survey No. 19, Village Dhinchda, Jamnagar Bedeshwar, District Jamnagar, Gujarat-361002	Bitumen drums	IS 3575	-	-	1993
16.	3753468	24-8-2011	Pusti Jewellers, Matva Street, Jetpur, District : Rajkot, Gujarat-360370	Gold and gold alloys, Jewellery/artefacts-fineness and marking	IS 1417	-	-	1999
17.	3753569	24-8-2011	Raj Jewellers, Rajkiran, 20, New Jagnath Plot, Rajkot-360001	Gold and gold alloys, Jewellery/artefacts-fineness and marking	IS 1417	-	-	1999
18.	3753670	24-8-2011	Rajdeep Jewellers, 4, Nagarpalika, Shopping Center-1, Bhachau, District Kachchh, Gujarat-370140	Gold and gold alloys, Jewellery/artefacts-fineness and marking	IS 1417	-	-	1999
19.	3753369	25-8-2011	Everest Kanto Cylinder Limited, Plot No. 525 to 542, 618, 619, 627 & 628, Sector New Extended Area, Kandla Special Economic Zone (Kasez), Gandhidham, District Kachchh, Gujarat-370230	Cylinders for on-board storage of compressed natural gas as a fuel for automotive vehicles	IS 15490	-	-	2004

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
20.	3754470	25-8-2011	Euro India Cylinders Limited, Plot No. 588-617, New Area, Kandla Special Economic Zone Kasez, Gandhidham, District Kachchh, Gujarat-370230	Cylinders for on-board storage of compressed natural gas as a fuel for automotive vehicles	IS 15490	-	-	2004
21.	3754773	26-8-2011	Jain Irrigation System Ltd. Survey No. 215, At & PO Ghangali, Taluka-Sihor, District Bhavnagar, Gujarat-364240	Irrigation equipment- sprinkler pipes — part 2 : quick coupled poly-ethylene pipes	IS 14151	2	-	1999
22.	3755068	29-8-2011	Yogendra Chemicals near Darbari Chowk, Post Patdi, Surendranagar, Gujarat-382765	Iodized Salt	IS : 7224	-	-	2006

[No. CMD/13 : 11]

M. RADHAKRISHNA, Sc. 'F' & Head

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2011

का. आ. 2500.—भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम, 1988 के विनियम 5 के उप-विनियम 6 के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिनके विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, को लाइसेंस रद्द किए गए हैं :—

अनुसूची

क्रम सं.	लाइसेंस संख्या	लाइसेंसधारी का नाम एवं पता	लाइसेंस के अंतर्गत वस्तु/प्रक्रम सम्बद्ध भारतीय मानक का शीर्षक	रद्दीकरण तिथि
1.	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

[सं. के प्र वि/13 : 11]

एम. राधाकृष्ण, वैज्ञानिक 'एफ' एवं प्रमुख

New Delhi, the 5th September, 2011

S.O. 2500.—In pursuance of sub-regulation (6) of Regulation 5 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulations 1988, of the Bureau of Indian Standards, hereby notifies the licences particulars of which are given below have been cancelled/suspended with effect from the date indicated against each :

SCHEDULE

Sl. No.	Licences No. CML-	Name and Address of the Licensee	Article/Process with relevant Indian Standards covered by the licence cancelled/suspension	Date of Cancellation
1.	No	No	No	No

[No. CMD/13 : 11]

M. RADHAKRISHNA, Sc. 'F' & Head

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2011

का. आ. 2501.—भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम, 1988 के विनियम 5 के उप-विनियम (6) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन लाइसेंसों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, वे रद्द कर दिए गए हैं :—

अनुसूची

क्रम सं.	लाइसेंस संख्या	लाइसेंसधारी का नाम एवं पता	लाइसेंस के अंतर्गत वस्तु/प्रक्रम सम्बद्ध भारतीय मानक का शीर्षक	रद्द करने की तिथि
1.	0320725	विकी इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लॉट सं. 92 सी, गवर्नमेंट इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, कांदिवली प., मुम्बई-400067	भा. मा. 694 : 1990 1100 वो, तक एवं सहित कार्यकारी वोल्टता के लिए पी वी सी रोधिक केबल	19-8-2011

[सं. के. प. वि./13 : 13]

एस. बी. रॉय, वैज्ञानिक 'एफ' एवं प्रमुख (एम डी एम-III)

New Delhi, the 5th September, 2011

S.O. 2501.—In pursuance of sub-regulation (6) of Regulation 5 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulations, 1988, the Bureau of Indian Standards, hereby notifies that the licences particulars of which are given in the following Schedule have been cancelled with effect from the date indicated against each :

SCHEDULE

Sl. No.	Licence No.	Name and Address of the licensee	Article/Process with relevant Indian Standard covered by the Licensee	Date of Cancellation
1.	0320725	Vicki Electronics, Plot No. 92-C, Govt. Industrial Estate, Kandivali (West), Mumbai-400067	IS 694 : 1990 PVC insulated cables for working voltages upto and including 1100 V.	19-8-2011

[No. CMD/13 : 13]

S.B. RAY, Scientist 'F' & Head (MDM-III)

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2011

का. आ. 2502.—भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम, 1988 के विनियम 4 के उप-विनियम (5) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन लाइसेंसों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, वे स्वीकृत कर दिए गए हैं :—

अनुसूची

क्रम सं.	लाइसेंस संख्या	स्वीकृति करने की तिथि/वर्ष/माह	लाइसेंसधारी का नाम एवं पता	भारतीय मानक का शीर्षक	भा. मा. सं./भाग/खण्ड/वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	3748273	4-8-2011	ए टु जेड केबल सीइएन 218/4, महावीर वेलफेअर सोसायटी, खान हाउस, अजाद कंपाउंड, चारकोप, कांदिवली पश्चिम, मुम्बई-400067	पीवीसी रोधित (भारी ड्यूटी) विद्युत केबल : भाग 1, 1100 वोल्ट कार्यकारी वोल्टता तक व सहित के लिए	भा.मा. 1554 भाग 1 : 1988

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	3750058	4-8-2011	सोनल अप्लायंसेस, सी-3, दोशी उद्योग नगर, बी.पी. एक्स, रोड सं. 5, भायंदर, (पूर्व), जिला थाणे-401105	बिजली के घरेलू खाद्य मिक्सर (द्रवीपरक और ग्राइन्डर)	भा.मा. 4250 : 1980
3.	3751161	12-8-2011	सिलवर इलेक्ट्रीकल, यूनिट सं. ए 107, पहला माला, वासुपूजा इस्टेट, लक्ष्मी नगर, गोरेगाँव पश्चिम, मुंबई-400062	घरेलू और समान प्रयोजनों के लिए स्विचें	भा.मा. 3854 : 1997
4.	3752769	18-8-2011	नेचर एफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा.लि., गट सं. 19, प्लॉट सं. 1 से 5, भिवंडी वाडा रोड, विलेज कुठाल, थाने-421303	सामान्य प्रकाश सेवाओं के लिए स्वयं ब्लास्ट्रस लैम्प भाग 2, निष्पादन अपेक्षाएं	भा.मा. 15111 (भाग 2) : 2002
5.	3752870	18-8-2011	के पटेल मेटल इंडस्ट्रीज प्रा.लि., 143, के एण्ड जे, अमलीया, दमण-396210 दाभेल, दमन एवं दीव	वाईडिंग वायर-भाग 3, पॉलिस्टर इनेमिलित गोल तॉबा तार, वर्ग-155, श्रेणी 2, आकार 0.120 मिमी से 1.016 मिमी	भा.मा. 13730 (भाग 3) : 1996
6.	3753771	24-8-2011	कविता अप्लायंसेस, गाला सं. 9, स्टैण्डर्ड हाउस कंपाउन्ड, बैल बाजार, काले मार्ग, कुर्ला पश्चिम, मुंबई-400 070	बिजली के घरेलू खाद्य मिक्सर (द्रवीपरक और ग्राइन्डर)	भा.मा. 4250 : 1980

[सं. के. प्र. वि./13 : 11]

एस.बी. रॉय, वैज्ञानिक 'एफ' एवं प्रमुख (एम डी एम-III)

New Delhi, the 5th September, 2011

S.O. 2502.—In pursuance of sub-regulation (5) of Regulation 4 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulations, 1988 of the Bureau of Indian Standards, hereby notifies the grant of licences particulars of which are given below in the following Schedule :

SCHEDULE

Sl. No.	Licence No.	Grant Date	Name and Address (factory) of the party	Product	IS No./Part/Sec./Year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	3748273	4-8-2011	A to Z Cable Cen 218/4, Mahihar Welfare Society, Khan House, Azad Compound, Charkop Kandivali-West, Mumbai-400067	PVC insulated (Heavy duty) electric cables : part 1 for working voltages upto and including 1100 V.	IS 1554 : Part 1 : 1988
2.	3750058	4-8-2011	Sonal Appliances, C-3, Doshi Udyog Nagar, B.P.X., Road No. 5, Bhayander (East) Thane-401105	Domestic electric food-mixers (liquidizers and grinders).	IS 4250 : 1980

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
3.	3751161	12-8-2011	Silver Electricals Unit No. A-107, First Floor, Vasupuja Estate, Laxmi Nagar, Goregaon West, Mumbai-400062	Switches for domestic and similar purposes	IS 3854 : 1997
4.	3752769	18-8-2011	Nature Efficient Electronics Pvt. Ltd., Guth No. 19, Plot Nos. 1 to 5, Bhiwandi Wada Road, Village Khutal, Thane-421303	Self ballasted lamps for general lighting services part 2 : performance requirements	IS 15111 : Part 2 : 2002
5.	3752870	18-8-2011	K. Patel Metal Inds. Pvt. Ltd. 143, K & J, Amalia, Daman-396210 Dabhel, Daman & Diu	Particular types of winding wires-part 3 : polyester enamelled round copper wire, class 155	IS 13730 : Part 3 : 1996
6.	3753771	24-8-2011	Kavita Appliances, Gala No. 9 Standard House Compound, Bail Bazar, Kale Marg, Kurla West, Mumbai-400070	Domestic electric food-mixers (liquidizes and grinders)	IS 4250 : 1980

[No. CMD/13 : 11]

S.B. RAY, Scientist 'F' & Head (MDM-III)

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2011

का. आ. 2503.—भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम, 1988 के विनियम (4) के उप-विनियम (5) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन लाइसेंसों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, वे स्वीकृत कर दिए गए हैं :—

अनुसूची

क्रम सं.	लाइसेंस संख्या	स्वीकृत करने की तिथि/ वर्ष/माह	लाइसेंसधारी का नाम व पता	भारतीय मानक का शीर्षक	भा. मा. संख्या	भाग	अनुभाग	वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	L-9877823	2-8-2011	मै. धान्सु एक्वा, फाजिलपुर रोड, फारूख नगर, वार्ड नं. 10, खेवट/खाता नं. 902/977, मुस्तकिल नं. 232, फारूख नगर, जिला गुडगांव-122506 (हरियाणा)	पैकेजबन्द पेय जल (पैकेजबन्द प्राकृतिक मिनरल जल के अलावा)	14543	—	—	2004
2.	L-9881208	23-8-2011	मै. पी.एम.बी. इंटरप्राइसिस, डबुआ पाली रोड, गांव डबुआ, जिला फरीदाबाद-121001 (हरियाणा)	घरेलू प्रेशर कुकर	2347	—	—	2006

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.	L-9882311	30-8-2011	मै. डी.के. इण्डस्ट्रीज, मौजा मुजेरी, आर.जी. खेबट नं. 225-26-27, खाता नं. 256, किला नं. 6, बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद-121004 (हरियाणा)	पैकेजबन्द पेय जल (पैकेजबन्द प्राकृतिक मिनरल जल के अलावा)	14543	-	-	2004

[सं. के प्र वि/13 : 11]

एम. सदाशिवम, वैज्ञानिक 'एफ' एवं प्रमुख (एफ डी ओ)

New Delhi, the 5th September, 2011

S.O. 2503.—In pursuance of sub-regulation (5) of Regulation 4 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulations, 1988 of the Bureau of Indian Standards, hereby notifies the grant of licences particulars of which are given below in the following schedule :

SCHEDULE

Sl. No.	Licence No.	Grant Date	Name and Address of the Party	Title of the Standard	IS No.	Part	Section	Year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	L-9877823	2-8-2011	M/s. Dhansu Aqua, Fazilpur Road, Farrukh Nagar, Ward No. 10, Khevat/Khata No. 902/977, Mustkil No. 232, Farrukh Nagar, Distt. Gurgaon-122506 (Haryana)	Packaged Drinking Water (Other than Packaged Natural Mineral Water)	14543	-	-	2004
2.	L-9881208	23-8-2011	M/s. P.M.B. Enterprises, Dabua Pali Road, Village Dabua, Distt. Faridabad-121001 (Haryana)	Domestic Pressure Cookers	2347	-	-	2006
3.	L-9882311	30-8-2011	M/s. D.K. Industries, Mauja Mujeri, R.G Khebat No. 225-26-27, Khata No. 256, Kila No. 6, Ballabgarh, Distt. Faridabad-121004 (Haryana)	Packaged Drinking Water (Other than Packaged Natural Mineral Water)	14543	-	-	2004

[No. CMD/13 : 11]

M. SADASIVAM, Scientist 'F' & Head (FDO)

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2011

का. आ. 2504.—भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम, 1988 के विनियम (5) के उप-विनियम (6) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि निम्न विवरण वाले लाइसेंसों को उनके आगे दर्शायी गई तारीख से रद्द/स्थगित कर दिया गया है :—

अनुसूची

क्रम सं.	लाइसेंस संख्या सीएम/एल	लाइसेंसधारी का नाम व पता	लाइसेंस के अंतर्गत वस्तु/प्रक्रम सम्बद्ध भारतीय मानक का शीर्षक	रद्द करने की तिथि
1.	L-9753195	मै. रॉयल बैवरेजिस, खेवट नं. 116/8 और 116/12, मुस्तकिल 93/11, किला नं. 16, मिर्जापुर डेयरी जोन के पास, गाँव तिगाँव, बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद-121004 (हरियाणा)	पैकेजबन्द पेय जल (पैकेजबन्द प्राकृतिक मिनरल जल के अलावा)	8-8-2011

[सं. सीएमडी/13 : 13]

एम. सदाशिवम, वैज्ञानिक 'एफ' एवं प्रमुख (एफ. डी. ओ.)

New Delhi, the 5th September, 2011

S.O. 2504.—In pursuance of sub-regulation (6) of Regulation 5 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulations, 1988 of the Bureau of Indian Standards, hereby notifies that the licences particulars of which are given below have been cancelled/suspended with effect from the date indicated against each :

SCHEDULE

Sl. No.	Licences No. CM/L-	Name and Address of the Licensee	Article/Process with relevant Indian Standards covered by the licence cancelled/suspension	Date of Cancellation
1.	L-9753195	M/s. Royal Beverages, Khewat No. 116/8 & 116/12, Mustkil 93/11, Kila No. 16, Near Mirzapur Dairy Zone, Village Tigaon, Ballabgarh, Distt. Faridabad-121004 (Haryana)	Packaged Drinking Water (Other than Packaged Natural Mineral Water)	8-8-2011

[No. CMD/13 : 13]

M. SADASIVAM, Sc. 'F' & Head (FDO)

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2011

का. आ. 2505.—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गए हैं :—

अनुसूची

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानक (कों) की संख्या वर्ष और शीर्षक	नये भारतीय मानक द्वारा अतिक्रमिकृत भारतीय मानक अथवा मानकों, यदि कोई हो, की संख्या और वर्ष	स्थापित तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आई एस/आईएसओ 13373-1 : 2002 मशीनों की अवस्था मॉनीटरिंग तथा डाइग्नोस्टिक—कंपन स्थिति की मॉनीटरिंग भाग 1 : सामान्य विधियां	—	31 जनवरी 2011

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	आई एस/आईएसओ 13373-2 : 2005 मशीनों की अवस्था मॉनीटरिंग तथा डाइग्नोस्टिक-कंपन स्थिति की मॉनीटरिंग भाग 2 : कंपन आँकड़ों का प्रक्रमण, विश्लेषण और प्रस्तुतिकरण	—	31 जनवरी 2011
3.	आई एस/आईएसओ 20806 : 2004 यांत्रिक कंपन-बड़े और मध्यम रोटर्स के लिए स्वस्थान संतुलन के मानदंड और सुरक्षा	—	31 जनवरी 2011
4.	आई एस/आईएसओ 22877 : 2004 [आई एस 6839 (भाग 1) : 1994 का अतिक्रमण] कास्टर एवं पहिए-पारिभाषिक शब्दावली, चिह्न तथा बहुभाषी शब्दावली	आई एस 6839 (भाग 1) : 1994 शक्ति रहित सामग्री प्रहस्तन उपस्कर से संबंधित पारिभाषिक शब्दावली भाग 1 कास्टर एवं पहिए	31 मार्च 2011

इन भारतीय मानकों की प्रतियां भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुंबई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना, पुणे तथा तिरुपवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

[संदर्भ : एम.ई.डी./जी-2 : 1]

जे.ए. सिद्दीकी, वैज्ञानिक 'ई' निदेशक (यांत्रिक इंजीनियरिंग)

New Delhi, the 6th September, 2011

S.O. 2505.—In pursuance of clause (b) sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards, hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been established on the date indicated against each :

SCHEDULE

Sl. No.	No. & Year of the Indian Standards Established	No. & year of Indian Standards, if any, Superseded by the New Indian Standard	Date of Established
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS/ISO 13373-1 : 2002 Condition monitoring and diagnostics of machines—Vibration condition monitoring Part I General Procedures	—	31 January 2011
2.	IS/ISO 13373-2 : 2005 Condition monitoring and diagnostics of machines—Vibration condition monitoring Part 2 Processing, analysis and presentation of vibration data	—	31 January 2011
3.	IS/ISO 20806 : 2004 Mechanical vibration—Criteria and safeguards for the in-situ balancing of medium and large rotors.	—	31 January 2011
4.	IS/ISO 22877 : 2004 [Superseding IS 6839 (Part 1) : 1994] Castors and Wheels—Vacabulary, symbols and multilingual terminology	Superseding IS 6839 (Part 1) : 1994 Glossary of terms relating to non-powered material handling equipment Part 1 Castor and Wheels.	31 March 2011